न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 40/2021 G.C.M.S. No. 2021/173 दर्ज दिनांक : 27.07.2021

अपीलार्थिगण:

1. मनोहर पुत्र पुखा
2. सहदेव पुत्र पुखा, तमाम जातियान बावरी, निवासी सांगावास, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नरसिंह पुत्र रावत
2. पांचु पुत्र रावत
3. अर्जुन पुत्र शिम्भू (फौत) के विधिक वारिसान:–
   3/1 शांति पत्नि स्व. अर्जुन
   3/2 चेतनराम पुत्र स्व. अर्जुन
   3/3 कैलाश पुत्र स्व. अर्जुन
   3/4 अम्बालाल पुत्र स्व. अर्जुन
   3/5 पुष्पेन्द्र पुत्र स्व. अर्जुन
   3/6 दिलीप पुत्र स्व. अर्जुन
   3/7 लीला पुत्री स्व. अर्जुन
   3/8 गायत्री पुत्री स्व. अर्जुन
4. धन्ना पुत्र शिम्भू (फौत) के विधिक वारिसान:–
   4/1 बिदामी पत्नि स्व. धन्ना
   4/2 बींजाराम पुत्र स्व. धन्ना
   4/3 मैनादेवी पुत्री स्व. धन्ना, तमाम जातियान बावरी, निवासी सांगावास, तहसील जैतारण व जिला ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जैतारण व जिला ब्यावर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 147/2011 बअनवान नरसिंह वगैरह बनाम मनोहर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2014 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मुस्ताक खान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय दिनांक: 27.02.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

147/2011 बअनवान नरसिंह वगैरह बनाम मनोहर वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.01.2014 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं 2 द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स संख्या 1 व 2 एवं रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एक वाद वास्ते बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का अधिनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं 2 तथा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स संख्या 1 व 2 व रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 के पिता सगे भाई तथा शिम्भु के वारिसान है। सरहद मौजा सांगावास तहसील जैतारण में वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 एवं 2 तथा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स संख्या 1 व 2 4 रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की सामलाती खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नं. 182 रकबा 11–17 किस्म बारानी दोयम की स्थित है। जिसमें वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण/अपीलांट्स संख्या 1 व 2 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 का 1/4, 1/4 हिस्सा है। जिसका राजस्व रेकर्ड में कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड के बंटवारा किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रतिवादीगण/अपीलांट्स संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 3 व 4 बंटवाडा नहीं करवाना चाहते हैं। उक्त आशय का वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थित होकर जवाब मय मौका का नजरी नक्शा पेश किया, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2014 को पारित की गई। जिस प्राथमिक डिक्री की पालना में मौका रिपोर्ट पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट में अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधिनस्थ न्यायालय के प्राथमिक निर्णय व डिक्री तथा अन्तिम निर्णय व डिक्री को चुनौती देते हुए अपीलांट द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2014 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री मौके एवं राजस्व रेकर्ड तथा वाद पत्र व जवाब पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं जवाब के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे से पूर्णतया विपरीत पारित की गई हैं। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया तथा अधिनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया गया कि वर्षों पूर्व पारिवारिक सेटलमेंट के तहत वादग्रस्त आराजी का मौके पर सहमति पूर्वक बंटवारा कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण को अपना–अपना हिस्सा सुपुर्द कर दिया गया था तथा उसी अनुसार गत 50 वर्षों से अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। प्रतिवादीगण ने माफिक पारिवारिक सेटलमेंट सहमति पूर्वक किये गये बंटवारे का नजरी नक्शा भी जवाब के साथ पेश किया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट के तहत हुए बंटवारे को बावजूद सहमति के कोई तवज्जो नहीं देते हुए अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री पारित की हैं। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब के पश्चात कोई तनकी कायम नहीं की गई, न ही कोई साक्ष्य लेखबद्ध की गई, न ही मौके की वास्तविक मौका रिपोर्ट ही तलब की गई एवं आनन–फानन में पक्षकारों में सहमति का उल्लेख करते हुए पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में मुख्य रूप से सहमति के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं जबकि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई सहमति नहीं प्रदान की गई हैं, न ही रेकर्ड पर ऐसी कोई सहमति हैं। इसके विपरीत वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब के साथ पेश नजरी नक्शे के आधार पर वाद निस्तारण हेतु निवेदन किया गया था। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसके विपरीत निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री की पालना में पेश फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2015 के बारे में प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से अवगत नहीं करवाया गया है, न ही उक्त मौका रिपोर्ट वास्तविक कब्जा काश्त एवं पारिवारिक सेटलमेंट के अनुसार ही हैं। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित कैम्प में आनन–फानन में आयोजित की गई हैं। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स को दिनांक 01.07.2021 को आकर मकान व जमीन खाली करने की धमकी देने एवं वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने का कहने पर अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जाकर अपने अधिवक्ता को सम्पर्क किया एवं प्रकरण की नकलें दिनांक 05.07.2021 को प्राप्त की, तब अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा अंतिम निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तत्पश्चात् पाली आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर हस्तगत अपील पेश की हैं। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं न ही अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी ही अपीलांट्स को दी गई। अपीलांट्स अनपढ़ एवं गरीब मजदूर है तथा कुआं खोदने का कार्य करते हैं, जो खाने कमाने हेतु अक्सर गुजरात जाते रहते हैं। मात्र बरसात के दिनों में ही गांव आते हैं तथा अनपढ़ होने से न्यायालय की कार्यवाहियों से भी पूर्णतया अनभिज्ञ है। जिस कारण से भी अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हुई। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील दायर करने में हुई देरी सदभाविक देरी हैं, जो माफ किये जाने योग्य है। डिले कण्डोन किया जाना न्यायसंगत भी हैं। अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

शपथ पत्र संलग्न अपील पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22.01.2014 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.07.2021 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स को दिनांक 01.07.2021 को आकर मकान व जमीन खाली करने की धमकी देने एवं वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित होने का कहने पर अपीलांट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जाकर अपने अधिवक्ता को सम्पर्क किया एवं प्रकरण की नकलें दिनांक 05.07.2021 को प्राप्त की, तब अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा अंतिम निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तत्पश्चात् पाली आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर हस्तगत अपील पेश की हैं। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी नहीं थीं न ही अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त निर्णय व डिक्री की कोई जानकारी ही अपीलांट्स को दी गई। अपीलांट्स अनपढ़ एवं गरीब मजदूर है तथा कुआं खोदने का कार्य करते हैं, जो खाने कमाने हेतु अक्सर गुजरात जाते रहते हैं। मात्र बरसात के दिनों में ही गांव आते हैं तथा अनपढ़ होने से न्यायालय की कार्यवाहियों से भी पूर्णतया अनभिज्ञ है। जिस कारण से भी अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं हुई। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील दायर करने में हुई देरी सदभाविक देरी हैं, जो माफ किये जाने योग्य है। डिले कण्डोन किया जाना न्यायसंगत भी हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. हमारे विनम्र मत में अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत अपील लगभग 90 माह अर्थात लगभग 2700 दिवस के दीर्घ विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

प्रतिवादीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता श्री सुरेश चौधरी नियुक्त किए गए थें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अतः यह निःसंदेह है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की निर्णय दिनांक से ही बखूबी जानकारी थीं। अतः अपीलांट द्वारा यह कथन करना कि उन्हें दिनांक 05.07.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, पूर्णतया आधारहीन व काल्पनिक कथन है। अपीलांट द्वारा विलंब के कारण के रूप में दर्शित कथन पूर्णतया बनावटी व अविश्वसनीय है। ऐसी स्थिति में पर्याप्त, सद्भाविक व युक्तियुक्त कारणों के अभाव में लगभग 2700 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब माफ किया जाना विधिसम्मत नहीं हो सकता।

4. विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अधोलिखित प्रकरणों में पारित अभिमत व विनिश्चय अवलोकनीय है :–

1. 2007 (2) RRT 939 (S.C.) – Limitation Act, 1963-Sec. 5- condonation of delay-In-ordinate delay of 3320 days in filing appeal-Delay not properly and satisfactorily explained- Court can not condone the delay on sympathetic grounds-No reason given to condone the inordinate delay-Held, Order is not sustainable and set aside.
2. 2017 (1) RRT 117 (Raj. H.C.) - Limitation Act, 1963-Sec. 5 – Condonation of delay of 2344 days in filing appeal in action or indolence of the part of the litigant- liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory and otiose – No sufficient cause to explain the delay, Held application and appeal are liable to dismiss.
3. 2024 RBJ 396 (S.C.) – Section 5 & 3 – As the provision of section 3 of limitation act appeal which is prefered after the expiry of limitation is liable to be dismissed. the use of word "shall" in the aforsaid provision cannotes that the dismissal is mandatory subject to the exception section 3 of the act is peremptory and

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or refered to in the pleadings. In other words, it casts an obligation upon the court to dismiss and appeal which is beyond limitation. This is general rule of limitation.

4. 2024 RBJ 463 (S.C.) – Section 5 - It hardly matters whether a litigant is a private party or a State or Union of India when it comes to condoning the gross delay of more than 12 years- If the litigant chooses to approach the court long after the lapse of the time prescribed under the relevant provisions of the law- then he cannot turn around and say that no prejudice would be caused to either side by the delay being condoned- This litigation between the parties started sometime in 1981- We are in 2024- Almost 43 years have elapsed- However, till date the respondent has not been able to reap the fruits of his decree- It would be a mockery again ask the respondent to undergo the rigmarole of the legal of justice if we condone the delay of 12 years and 158 days and once proceedings- (ii) The question of limitation is not merely a technical consideration- The rules of limitation are based on the principles of sound public policy and principles of equity- We should not keep the 'Sword period of time to be determined at the whims and fancies of the of Damocles' hanging over the head of the respondent for indefinite appellants. Appeal dismissed

5. हमनें माननीय न्यायालयों द्वारा उपर्युक्त प्रकरणों में प्रतिपादित अभिमत का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण की प्रकृति व परिस्थितियां उपर्युक्त प्रकरणों के समान है तथा माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित उपर्युक्त अभिमत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा होते हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में अविश्वसनीय रूप से 2700 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंब कारित किया है। प्रार्थी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

विलंबकाल माफ करने के लिए तथा विलंब के कारणों के रूप में दर्शित आधार विश्वसनीय, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य नहीं होकर वस्तुतः प्रार्थी की लापरवाही व घोर उदासीनता के कारण विलंब घटित होना साबित है। साथ ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध नहीं हैं। अतः ऐसी स्थिति में विलंबकाल माफ किये जाने योग्य नहीं हैं तथा प्रार्थी के साथ किसी भी दृष्टि से उदार रूख अपनाया जाना परिसीमा अधिनियम 1963 के विधिक प्रावधानों व मंशा के विपरीत होगा।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि **2700 दिवस का अत्यंत दीर्घ विलंबकाल** माफीयोग्य नहीं होने से प्रार्थी द्वारा विलंबकाल माफ किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा इसके फलस्वरूप अपील अपीलांट परिसीमा अवधि से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 बखूबी साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है, फलस्वरूप अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इसी स्तर पर खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **27.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner